BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 630 of 2023

IN THE MATTER OF:

ANAND ARYA …………APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & OTHERS ……..RESPONDENT(s)

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	FURTHER AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 8 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 17.10.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE LETTER DT. 31.08.2025 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1	
3.	COPIES OF THE LETTERS DT. 13.10.2025 AND 27.10.2025 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2 AND R-3	
4.	COPY OF THE MINUTES OF MEETING DT. 26.11.2025 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4	

5.	**COPY OF THE MINUTES OF MEETING DT. 19.11.2025 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-5**	
6.	**COPY OF THE LETTER DT. 15.10.2025 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-6**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com
Ph: 9639286572

DATE: 01.12.2025
PLACE: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 630 of 2023

NOTARY K.P. Yadav Reg. No.4123 GOVT. OF INDIA NOTARIAL

IN THE MATTER OF:

ANAND ARYA …………APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & OTHERS ……..RESPONDENT(s)

FURTHER AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 8 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 17.10.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, Rajanikant Mittal aged about 42 years S/o Ramesh Chand Gupta, presently posted as Divisional Forest Officer, Gautam Buddha Nagar, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present response.

NOTARY K.P. Yadav Reg. No.4123 GOVT. OF INDIA

2. That I state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER:

3. That the present matter pertains to conservation and notification of Dhanauri Wetlands in Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh. That the applicant has prayed to notify the Dhanauri Wetlands as Wetlands in terms of the directions of the Supreme Court in the orders dt. 08.02.2017 and 04.10.2017 passed in W.P. (Civil) No. 230/2001 in the matter of *M.K. Balakrishnan Vs. Union of India & Ors.*

4. That the above-captioned matter was last listed for hearing on 17.10.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

"1. A letter has been circulated by Counsel for the State of Uttar Pradesh seeking four weeks' time to place on record the status concerning the issue of making the recommendation for declaring Dhanauri Wetland as Ramsar Site.

2. The Applicant has opposed the adjournment by submitting that the matter is being adjourned repeatedly at the instance of the State.

NOTARY K.P. Yadav Reg. No. [illegible] GOVT. OF INDIA

Therefore, the status should be placed on record by the State expeditiously otherwise the authorities should personally appear before the Tribunal.

3. In such circumstances, we accept the prayer for adjournment with a direction to place the status on record within four weeks."

5. That it is relevant to submit here that an affidavit dt. 03.05.2025 ***(Refer @ Pg No. 555 of the Judicial Record)*** and an additional affidavit dt. 26.07.2025 ***(Refer @Pg No. 640 of the Judicial Record)*** has already been filed by the Deponent in compliance of the directions of this Hon'ble Tribunal.

II. STATUS OF ACTIONS TAKEN PURSUANT TO ORDERS OF THIS HON'BLE TRIBUNAL

6. That as stated in the additional affidavit dated 26.07.2025, the **Technical Committee of the U.P. State Wetland Authority** considered the *Brief Document/Proposal* for notification of Dhanauri Wetland under the **Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017** in its meeting held on **23.05.2025**. After due deliberation, the Committee resolved to circulate the document among all 7 members for obtaining their consent.That the **Ground Water Department** conveyed its consent vide letter dated **14.07.2025** ***(Refer @Pg No.655 of the Judicial Record)***.

NOTARY
K.P. Yadav
Reg. No. 4123
GOVT. OF INDIA

7. That the **Fisheries Department** also furnished its comments vide letter dated **31.08.2025**.

   A Copy of the letter dt. 31.08.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1.**

8. That thereafter, the Second Meeting of the Technical Committee was convened on 08.10.2025 for consideration of the pending consents and for further processing of the proposal. During the said meeting, certain queries and clarifications were raised by the Committee members, which were formally communicated to the office of the Deponent vide letter dated 09.10.2025. In order to address the aforesaid queries, the Deponent issued letters dated 13.10.2025 and 27.10.2025 to the 7 concerned departments seeking the requisite information and clarifications.

   Copies of the letters , 13.10.2025 and 27.10.2025 have been annexed herewith as **ANNEXURE R-2, ANNEXURE R-3,**

9. That further, in the meeting of the District Wetland Committee, Gautam Buddh Nagar, held on 26.11.2025, the Committee directed that a consolidated reply to all the queries raised by the Technical Committee **be prepared at the earliest on the basis of departmental responses already received.**

Copy of the minutes of the meeting dated 26.11.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-4**

10. That the consolidated reply to all the queries raised by the Technical Committee, prepared on the basis of inputs and responses received from the concerned departments, was duly responded by the Deponent to the Technical Committee vide letter dated 28.11.2025.

III. MEETING CHAIRED BY PRINCIPAL SECRETARY, ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT (19.11.2025)

11. That a meeting was also convened on **19.11.2025** under the Chairmanship of the **Principal Secretary, Department of Environment, Forest & Climate Change, Government of Uttar Pradesh**, to review the status of Dhanauri Wetland in the presence of the Member Secretary, State Wetland Authority; Chairperson and Member Secretary of the Technical Committee; representative of YEIDA (ACEO); Conservator of Forests, Meerut; and the Divisional Forest Officer, Gautam Buddh Nagar.

12. That during the said meeting, the representative of **YEIDA** apprised that approximately **25 hectares** of the proposed wetland area have already been acquired by YEIDA. It was further stated **that YEIDA proposes to place**

NOTARY R.P. Yadav Reg. 4123 GOVT. OF INDIA

before its next Board Meeting a proposal for resumption/acquisition of the remaining land (112.89 – 25 = 87.89 hectares), totaling **112.89 hectares** (as recorded in the Draft Master Plan 2041), so that the process of notification and subsequent management of Dhanauri Wetland may proceed without administrative impediments.

A Copy of the minutes of meeting dt. 19.11.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R- 5**

13. That in the meeting of the State Wetland Committee held on 06.12.2023, it was resolved that any action regarding the recommendation of Dhanauri Wetland as a Ramsar Site be undertaken after conducting joint consultations and consent with all stakeholders.

In compliance thereof, the stakeholder consultation status report was submitted to the State Wetland Authority, and the same was also forwarded to YEIDA for its opinion, after joint consultations involving the Revenue Department, Forest Department, YEIDA, and the farmers concerned.

Any further queries from the office of the Member Secretary, State Wetland Authority, have also been duly responded to.

14. That, in response to a query raised regarding whether a proposal recommending Dhanauri Wetland for Ramsar status may be forwarded to

the **MoEF&CC**, YEIDA (Respondent No. 10) has responded vide its letter dated **15.10.2025** upon the said query.

A Copy of the letter dt. 15.10.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R- 6**

15. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at NOIDA on this 1ST day of December, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 17 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY K.P. Yadav Reg. No. 4123 GOVT. OF INDIA

ATTESTED K.P. YADAV NOTARY PUBLIC

01 DEC 2025

ANNEXURE R-1

मा0 हरित न्यायाधिकरण प्रकरण

निदेशक
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

1. वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना/
सदस्य–सचिव तकनीकी समिति
उत्तर प्रदेश लखनऊ

2. सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन
उत्तर प्रदेश शासन

पत्रांक: 305 /38–सा0शा0/न्यू0मू0नि0/2025–26 दिनांक 31 /08/2025

विषय: आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबन्ध) नियम, 2017 के अन्तर्गत बिन्दु 5(6) के अन्तर्गत गठित तकनीकी समिति की दिनांक 23.05.2025 को समय 05:00 बजे अपराह्न उ.प्र. सचिवालय बापू भवन, तृतीय तल स्थित उनके कार्यालय कक्ष सं0–330 में आहूत बैठक के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में आपके कार्यालय पत्रांक 260/26–11(UPSWA)/2025–26 लखनऊ दिनांकरू 25.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 हरित न्यायाधिकरण के समक्ष जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित प्रस्तावित धनौरी वैटलैन्ड को आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबन्ध) नियम, 2017 के अन्तर्गत आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित कराये जाने सम्बंधी मूल वाद संख्या 630/2024 के क्रम में मत्स्य विभाग से आख्या उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि सहायक निदेशक मत्स्य, गौतमबुद्धनगर के कार्यालय पत्रांक 44/आख्या/2025–26 दिनांक 30.08.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित प्रस्तावित धनौरी वैटलैन्ड का क्षेत्रफल लगभग 46 हे. है। उक्त प्रस्तावित वैटलैन्ड के आस–पास निवास करने वाले मछुआ समुदाय के लोगों तथा अन्य स्थानीय निवासियों द्वारा पारम्परिक रूप से मत्स्य आखेट कर जीवन–यापन किया जाता है। उक्त जलक्षेत्र को वैटलैन्ड के रूप में सूचीबद्ध किये जाने से अजीविका एवं मत्स्य उत्पादन प्रभावित होगा।

मा0 हरित न्यायाधिकरण के समक्ष योजित मूल वाद संख्यारू 630/2024 के क्रम में मत्स्य विभाग द्वारा उपरोक्त आख्या प्रस्तुत है।

भवदीय

31.08.25

(नूरुस्सबूर रहमानी)
निदेशक

पत्रांक: /38–सा0शा0/न्यू0मू0नि0/2025–26 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य–सचिव, उ.प्र. राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।
2. अनु सचिव, मत्स्य विभाग, उ.प्र. शासन।
3. प्रभागीय वन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग।
4. उप निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ।
5. सहायक निदेशक मत्स्य, गौतमबुद्धनगर।

(नूरुस्सबूर रहमानी)
निदेशक

DM/T.C.
C.S.
01/09/25

ANNEXURE R-2

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, ई–1, सैक्टर 01, नौएडा।
पत्रांकः 2293/35–1, गौतमबुद्धनगर दिनाँक 13.10.2025।

शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, पी–2, सैक्टर ओमेगा–1,
ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर।

विषयः सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनाँक 08.10.2025 को नवीन भवन, प्रथम तल स्थित कक्ष सं० 09 में धनौरी वेटलैण्ड से सम्बन्धित आर्द्रभूमि ब्रीफ डाक्यूमेन्टस की समीक्षा हेतु आयोजित तकनीकी समिति की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त।

सन्दर्भः कार्यालय वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 499/26–11 यू०पी०एस०डब्लूए/2025–26, लखनऊ दिनाँक 09.10.2025।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में, अवगत कराना है कि जनपद गौतमबुद्धनगर अर्न्तगत धनौरी आर्द्रभूमि से सम्बन्धित ब्रीफ डाक्यूमेन्टस की समीक्षा हेतु दिनाँक 08.10.2025 को सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में तकनीकी समिति की द्वितीय बैठक आहुत/आयोजित की गयी।

निर्गत कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया सम्बन्धित बिन्दुओं यथा बिन्दु सं०–1,2,7,9 पर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराते हुये सूचना इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि धनौरी आर्द्रभूमि से सम्बन्धित प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 630/2023 आनन्द आर्या बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। वाद में सुनवाई की <u>अग्रिम तिथि 17.10.2025</u> माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी है।

अतः आपके व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण के साथ त्वरित कार्यवाही का अनुरोध है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति, गौतमबुद्धनगर।

शेष पृष्ठ 02 पर......

पत्रांक 2293/35-1, तददिनॉकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, इको विकास/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 मेरठ।
5. वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त, मेरठ।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 2293/35-1, तददिनॉकित।
प्रतिलिपि: जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष, जिला आर्द्रभूमि समिति, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्न: यथोपरि।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 2293/35-1, तददिनॉकित।
प्रतिलिपि: अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, ऊपरी खण्ड गंग नहर, खुर्जा बुलन्दशहर को उपरोक्तानुसार इस अनुरोध से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण के निर्गत कार्यवृत्त में सम्बन्धित बिन्दु संख्या 05 व अन्य सम्बन्धित बिन्दुओं पर यथाशीघ्र आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कष्ट करें, ताकि अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
संलग्न: यथोपरि।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 2293/35-1, तददिनॉकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार इस अनुरोध से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण के निर्गत कार्यवृत्त में सम्बन्धित बिन्दुओं पर आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जा सके:-

1. उप जिलाधिकारी, सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर। (संलग्न कार्यवृत्त के बिन्दु सं0-1,2,9)
2. सहायक निदेशक, मत्स्य, जनपद गौतमबुद्धनगर। (संलग्न कार्यवृत्त के बिन्दु सं0-8)
3. जिला भू-गर्भ जल अधिकारी/सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग, जनपद-गौतमबुद्धनगर। (संलग्न कार्यवृत्त के बिन्दु सं0-6)
4. निदेशक, पर्यटन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
5. अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, गाजियाबाद।
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिकन्द्राबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न: यथोपरि।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति, गौतमबुद्धनगर।

O/C

ANNEXURE R-3

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, ई–1, सैक्टर 01, नौएडा।
पत्रॉक 2426 /35–1, गौतमबुद्धनगर दिनॉक 27-10-2025।

सेवा में,

शीर्ष प्राथमिकता / अति महत्वपूर्ण

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, पी–2, सैक्टर ओमेगा–1,
ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर।

विषयः सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनॉक 08.10.2025 को नवीन भवन, प्रथम तल स्थित कक्ष सं0 09 में धनौरी वेटलैण्ड से सम्बन्धित आर्द्रभूमि ब्रीफ डाक्यूमेन्टस की समीक्षा हेतु आयोजित तकनीकी समिति की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त।

सन्दर्भः 1:– कार्यालय वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 499/26–11 यू0पी0एस0डब्लूए/2025–26, लखनऊ दिनॉक 09.10.2025।

2:– इस कार्यालय का पत्रॉक 2293/35–1 दिनॉक 13–10–2025।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया था कि जनपद गौतमबुद्धनगर अर्न्तगत धनौरी आर्द्रभूमि से सम्बन्धित ब्रीफ डाक्यूमेन्टस की समीक्षा हेतु दिनॉक 08.10.2025 को सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में तकनीकी समिति की द्वितीय बैठक आहुत/आयोजित की गयी।

निर्गत कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गयी थी कि कृपया सम्बन्धित बिन्दुओं यथा बिन्दु सं0–1,2,3,4,7,9 पर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराते हुये सूचना इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, किन्तु वॉछित सूचना अभी तक इस कार्यालय में अप्राप्त है।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि धनौरी आर्द्रभूमि से सम्बन्धित प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 630/2023 आनन्द आर्या बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य, माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण सूचनायें ससमय प्रेषित किया जाना आवश्यक है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पायें।

अतः आपके व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण के साथ त्वरित कार्यवाही का अनुरोध है।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति, गौतमबुद्धनगर।

शेष पृष्ठ 02 पर......

/35–1, तद्‌दिनॉकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 मेरठ।
5. वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त, मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी सक्षम स्तर को लिखने की कृपा करें।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक /35–1, तद्‌दिनॉकित।

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष, जिला आर्द्रभूमि समिति, गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया वॉछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा करें।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक /35–1, तद्‌दिनॉकित।

प्रतिलिपि: अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, ऊपरी खण्ड गंग नहर, खुर्जा बुलन्दशहर को उपरोक्तानुसार इस अनुरोध से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण के निर्गत कार्यवृत्त में सम्बन्धित बिन्दु संख्या 05,10 व अन्य सम्बन्धित बिन्दुओं पर यथाशीघ्र आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्न: यथोपरि।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक /35–1, तद्‌दिनॉकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार इस अनुरोध से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण के निर्गत कार्यवृत्त में सम्बन्धित बिन्दुओं पर आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जा सके:–

1. उप जिलाधिकारी, सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर। (संलग्न कार्यवृत्त के बिन्दु सं0–1,2,9)
2. सहायक निदेशक, मत्स्य, जनपद गौतमबुद्धनगर। (संलग्न कार्यवृत्त के बिन्दु सं0–8)
3. जिला भू–गर्भ जल अधिकारी/सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भू–गर्भ जल विभाग, जनपद–गौतमबुद्धनगर। (संलग्न कार्यवृत्त के बिन्दु सं0–6)
4. निदेशक, पर्यटन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
5. अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, गाजियाबाद।
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिकन्द्राबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न: यथोपरि।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति, गौतमबुद्धनगर।

ANNEXURE R-4

कार्यवृत्तः–

दिनांक 26–11–2025 को अपरान्ह 12.00 बजे जिलाधिकारी, महोदया, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक मे प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, एवं अन्य समिति सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।(उपस्थिति सूची संलग्न है) बैठक में समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया गया/निर्देशित किया गयाः–

1. पूर्व बैठको में दिये गये निर्देशो के कम में पुनः निर्देशित किया गया कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या–177/2022, अभीष्ठ कुसुम गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 26.11.2024 में पारित आदेश के क्रम में तहसीलवार एवं जियो कॉर्डीनेट के साथ निर्धारित प्रारूप में पूर्ण एवं त्रुटिरहित सूचना प्रत्येक दशा में निम्न प्रारूप में अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध कराये जिससे मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ससमय प्रतिउत्तर दाखिल किया जा सके। उक्त सूचना की प्रति सदिस्य सचिव को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित की जाये,

Name of the Pond with Geotag Area /Location	Encroachment/ Encroachment Free	Date till when it can be free	Rejuvenation/ Restoration plan for this pond	Timeline for each Activity	Closure date/ Commission Date	Details of funds allocated for the Rejuvenation of the pond	Total No. of ponds under 3 Tehsil	Encroach ment pending	Pending Case
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(कार्यवाही समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त प्राधिकरण/अधिशासी अधिकारी नगरपालिका दादरी)

2. सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जो तालाब विकास कार्यो के कारण नष्ट हो गये है अथवा जिनमें अतिकमण हो चुका है उन तालाबो को Mitigation में शामिल करने की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। पूर्व बैठक में भी इस संबंध में निर्देश दिये गये थे किन्तु वांछित कार्ययोजना प्राप्त नहीं हुई। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त कार्यवाही की कार्ययोजना बनाकर शीघ्र समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी

3. विगत वर्षो में जनपद में जिन तालाबो सुदृढीकरण करने के संबंध में कार्य किये गये है। उन तालाबो को सूचीबद्ध कर मय फोटोग्राफ सदस्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये किये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी)

4. पूर्व बैठको में जनपद में स्थित 2.25 हेक्टर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की आर्द्रभूमियो की सूचना भी प्राथमिकता के आधार पर निम्न निर्धारित प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु बार–बार निर्देशित किया जा रहा है किन्तु वांछित सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में तीन दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाये।

प्रारूप

क्र० सं०	तहसील का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	गाटा संख्या/स्वामित्व	वर्तमान स्थिति	गूगल इमेज	भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण, समस्त नगर पालिका,नगर पंचायत)

5. समिति अध्यक्ष द्वारा पुनः निर्देश दिये गये कि समस्त उप जिलाधिकारी, संबंधित प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर तालाबो एंव वेटलैण्ड की अद्यतन सूचना उपलब्ध करायेगें तथा समस्त उपजिलाधिकारी द्वारा धारा–67 के अन्तर्गत अतिकमण से संबंधित समस्त लम्बित वादो को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र निस्तारित करते हुए अनुपालन आख्या निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायेंग तथा तालिकावार विवरण प्रस्तुत करेगें। इस संबंध में संबंधित उप जिलाधिकारी समय–समय पर आहुत बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर को लिखित रूप में अवगत करायेगें। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण समस्त उपजिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिक)

6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय पत्र संख्या 1171/81–4–2024 दिनांक 14–10–2024 द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे कि जनपद में ग्राम पंचायत स्तर पर आर्द्रभूमि समिति का गठन किया जाये। इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अपने पत्र संख्या 2203/18–1 दिनांक 12–11–2024 द्वारा

समस्त संबंधित को शासकीय पत्र संलग्न कर समिति के गठन हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये उक्त समिति के गठन हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को नोडल अधिकारी, नामित किया गया है एवं निर्देशित किया गया है कि उक्त कार्यवाही पूर्ण कर आगामी बैठक में अवगत कराया जाये। (कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी,गौतमबुद्धनगर/जिला पचांयत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, समस्त उपजिलाधिकारी,

7. जिला आर्द्रभूमि समिति की बैठक दिनांक 07–02–2019 में समस्त संबंधित विभागो से सहमति प्राप्त कर जिला आर्द्रभूमि समिति द्वारा धनौरी आर्द्रभूमि को आर्द्र भूमि नियम–2017 के अन्तर्गत आर्द्र भूमि अधिसूचित कराने हेतु ब्रीफ डाक्यूमेंट अनुमोदित कर सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण को प्रेषित किया गया था। तकनीकी समिति, उ0प्र0 राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की द्वितीय बैठक दिनांक 08–10–2025 के कम में तकनीकी समिति द्वारा प्रेषित आपत्तियों के आलोक में समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त संबंधित विभागो से प्राप्त आपत्तियों की निराकरण आख्या अधतन रूप से संकलित कर शीघ्रतम तकनीकी समिति, उ0प्र0 राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण को प्रेषित कर दी जाये। (कार्यवाही यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ उप जिलाधिकारी, सदर/सिंचाई विभाग खुर्जा, बुलन्दशहर/ भूगर्भ जल विभाग /मत्स्य विभाग, पर्यटन विभाग/ जल संसाधन विभाग, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिकन्द्राबाद।)

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव
जिला आर्द्र भूमि समिति, गौतमबुद्धनगर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर

पत्रॉक: 2842 /18-1 , दिनॉक गौतमबुद्धनगर 29-11- 2025।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित की संबधित को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा आद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव
जिला आर्द्र भूमि समिति, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 2842 /18-1 , दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महोदया, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
3. अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर।
4. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर।
6. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
7. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
9. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
10. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।
11. सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, गौतमबुद्धनगर।
12. अधिशासी अभियंता जल संसाधन विभाग, गाजियाबाद।
13. समस्त खण्ड विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव
जिला आर्द्र भूमि समिति, गौतमबुद्धनगर

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0संख्या 630/2023 के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनॉक 19-11-2025 को बापू भवन स्थित कार्यालय कक्ष में आहूत बैठक का कार्यवृत्त

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4, लखनऊ पत्र संख्या-1998/81-4- 2025-1759487 दिनॉक 18-11-2025 उ0प्र0 शासन के क्रम में धनौरी वेटलैण्ड को अधिसूचित करने के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा निर्गत किये जा रहे आदेश एवं प्रचलित प्रक्रिया के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने हेतु बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्रीमती बी0 चन्द्रकला, सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. श्री नीरज कुमार, मुख्य वन संरक्षक/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।
3. श्री नागेन्द्र प्रताप, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
4. डॉ रंगाराजू टी, वन संरक्षक, लुप्त प्राय परियोजना/सदस्य सचिव, तकनीकी समिति, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।
5. श्री आदर्श कुमार, वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त, मेरठ।
6. श्री घनश्याम सिंह, विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. श्रीमती नीरजा सक्सेना, संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. श्री रजनीकान्त मित्तल, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर।

1. - बैठक के प्रारम्भ में सर्वप्रथम अवगत कराया गया कि :-

प्रश्नगत धनौरी आर्द्रभूमि को अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित याचिका सं0-ओ0ए0 630/2023 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 04-09-2025 में उल्लिखित है कि:-

............Learned Counsel for the State of UP has submitted that the State is bound to declare Dhanauri as wetland. He seeks adjournment to obtain instructions if the State is ready to send the proposal to the MoEF&CC for declaring it as a Ramsar site, if the YEIDA has no objection to it...........

इसके अतिरिक्त माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 17-10-2025 में उल्लिखित है कि:-

.... The Applicant has opposed the adjournment by submitting that the matter is being adjourned repeatedly at the instance of the State. Therefore, the status should be placed on record by the State expeditiously otherwise the

authorities should personally appear before the Tribunal...........

उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा सुनवायी की अग्रिम तिथि 02-12-2025 नियत की गयी है।

2- बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर द्वारा धनौरी आर्द्रभूमि को आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबन्धन नियम 2017 के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में प्रचलित प्रकिया के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया।

3- जिला आर्द्रभूमि समिति, गौतमबुद्धनगर की बैठक दिनॉक 10-01-2025 में दिये गये आदेश के क्रम में ग्राम धनौरी कला, ठसराना, अमीपुर बॉगर, के हितधारको (कृषकों) के साथ मिलकर सम्बन्धित विभाग यथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, राजस्व विभाग के साथ संयुक्त बैठक कर हितधारको से सहमति/मन्तव्य प्राप्त कर अभिमत हेतु यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा को प्रेषित किया गया था।

धनौरी आर्द्रभूमि को आर्द्रभूमि घोषित करने सम्बन्धी प्रेषित प्रस्ताव/ब्रीफ डोक्यूमेन्ट के तकनीकी परीक्षण हेतु दिनॉक 08-10-2025 को आयोजित तकनीकी समिति, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-2 पर यह मत प्रस्तुत किया गया था कि भविष्य में भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी प्रक्रिया तथा भूमि अर्जन में आने वाली सम्भावित बाधाओं का निराकरण कराते हुए कृषकों को नियमानुसार मुआवजा दिये जाने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करा ली जाये, ताकि किसी प्रकार की शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी विपरीत स्थिति न उत्पन्न हो।

4- / अवगत कराया गया कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्यालय पत्रॉक वाई0ई0ए0/plng/85/2022 दिनॉक 08-09-2022 में उल्लेख किया गया है कि प्राधिकरण की ड्राफ्ट महायोजना 2041 में धनौरी जल निकाय का क्षेत्रफल 46.35 हैक्टेयर तथा धनौरी जल निकाय के चारों तरफ बफर जोन के रुप में लगभग 86.54 हैक्टेयर एरिया (जल निकाय व बफर जोन एरिया का कुल 112.89 हैक्टेयर) प्रदर्शित किया गया है। कुल जल निकाय व बफर जोन एरिया 112.89 हैक्टेयर में से लगभग 25 हैक्टेयर भूमि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गयी है, जिसके अधिग्रहण में प्राधिकरण द्वारा व्यय किया गया है। उक्त पत्र द्वारा यह अवगत कराया गया था कि-

"संचालक मण्डल द्वारा विचारोपरान्त इस संशोधन के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है कि धनौरी जल निकाय को केवल वेटलैण्ड के रुप में ही घोषित करने की एन0ओ0सी0 प्रदान की जाये।"

तत्क्रम में बैठक में उपस्थित यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, द्वारा अवगत कराया गया कि धनौरी आद्रभूमि के कुल क्षेत्र 112.89 है0 में से प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अधिग्रहित 25 हैक्टेयर के अतिरिक्त अन्य भूमि यथा 87.89 हैक्टेयर (सामुदायिक भूमि व निजी भूमि सम्मिलित) में से सामुदायिक भूमि को Resume एवं निजी भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव बनाकर आगामी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा, ताकि तदानुसार निर्णय होने पर धनौरी वेटलैण्ड को अधिसूचित करने की कार्यवाही एवं तत्पश्चात उसका प्रबन्धन सुगमता से हो सकें।

5- अतः उपरोक्तानुसार विचार विमर्श के क्रम में मत स्थिर किया गया कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा द्वारा धनौरी आर्द्रभूमि क्षेत्र में उक्तानुसार भूमि अर्जन/अधिग्रहण सम्बन्धित प्रस्तावित प्रक्रिया के क्रम में तदनुसार धनौरी आर्द्रभूमि को अधिसूचित किये जाने सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।"

Digitally signed by
GHANSHYAM SINGH
Date: 27-11-2025
18:08:29

(घनश्याम सिंह)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4
संख्या- 2219/81-4-2025-1759487
लखनऊ, दिनांक 28 नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, तकनीकी समिति राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
4. वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना/सदस्य सचिव, तकनीकी समिति, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला आर्द्रभूमि समिति, गौतमबुद्धनगर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला आर्द्रभूमि समिति, गौतमबुद्धनगर।
7. सभी प्रतिभागी अधिकारीगण।

(नीरजा सक्सेना)
संयुक्त सचिव।

ANNEXURE R-6

YETIIA FUTURE IS HERE

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

द्वितीय तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, सेक्टर ओमेगा, (पी–2) ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)
दूरभाष न0–0120–2395151, फैक्स न0–0120–2395150

पत्रॉक : वाई.ई.ए./SM/WC-Hort./2025-26/615 दिनॉक : 15/10/2025

प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय गौतमबुद्धनगर
प्रकरण नं 3739
फाईल 35-1
दिनांक 17-10-25

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर,
ई–1, सैक्टर–1 नोएडा।
जिला गौतमबुद्धनगर उ0 प्र0।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ऑरिजिनल एपलीकेशन संख्या 630/2023 आनन्द आर्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध मे। (श्री भंवर पाल सिंह जादौन स्थायी अधिवक्ता माननीय एन.जी.टी. नई दिल्ली का ई–मेल दिनांक 27.9.2025)

सन्दर्भः– 223/35–1 गौतमबुद्धनगर दिनांक 08.10.2025 के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ऑरिजिनल एपलीकेशन संख्या 630/2023 आनन्द आर्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध मे निम्न सूचना चाही गयी है।

S.N.	चाही गयी सूचना	विवरण
1	To confirm wheher the proposal for declaring Dhanuri as a Ramsar site can be sent to the MOEF & CC	धनौरी जल निकाय के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण की 74वी बोर्ड बैठक में संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया (प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत एजेण्डा व कार्यवृत्त संलग्न) जिस पर संचालक मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय निम्नवत है। " संचालक मण्डल द्वारा विचारोपरान्त इस संशोधन के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि धनौरी जल निकाय को केवल वैटलैण्ड के रूप में ही घोषित करने की एन0ओ0सी प्रदान की जायें" प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय से प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को पत्र दिनांक 08.09.2022 के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है। (छाया प्रति संलग्न)
2	Ensure that Dhanuri wetland is protected and preserved including removal of garbage and polythene and proper handling of hyacinth and other vegentation until formal declaration	धनौरी आर्द्रभूमि में वन विभाग द्वारा हेबिटेट मैनेजमेंट के अन्तर्गत जलकुम्भी निष्कासन का कार्य कराया गया है जलकुम्भी निष्कासन क्षेत्र में पॉलीथीन एंव कूड़ा कचरा निक्षेप नही हुआ है (सन्दर्भ संलग्न वन विभाग पत्रांक 2104/35–1 दिनांक 30.9.2025)

3	Provide a status report detailing measures already taken and proposed for preservation of the wetland .	धनौरी जल निकाय का कुल क्षेत्रफल 46.35 हैक्टयर तथा धनौरी जल निकाय के चारो ओर बफरजोन के रूप में लगभग 66.54 हेक्टेयर एरिया (जल निकाय एंव बफर जोन एरिया कुल 112.89 हेक्टेयर) प्रदर्शित किया गया है

उपरोक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक –उपरोक्तानुसार

(डॉ0 आरती सिंह)
सहायक निदेशक (उद्यान)

प्रतिलिपि:–

1. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण को सादर अवलोकनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी (एस.बी.)/(एस.के.एस.) महोदय को सादर सूचनार्थ।
4. उप निदेशक(उद्यान) /वरिष्ठ प्रबन्धक(उद्यान) महोदय को सादर सूचनार्थ।

सहायक निदेशक (उद्यान)